रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 20, 1986/आश्विन 28, 1908
No. 30] NEW DELHI, MONDAY, OCT. 20, 1986/ASVINA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

आ०अ० 64(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 15 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना

सं 434/बिहार/84(1) में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में 29-बांका के सामने विद्यमान प्रविष्टि "जिला मजिस्ट्रेट, भागलपुर" के स्थान पर "श्री तारकेश्वर प्रसाद नं. 2, उपनिदेशक खाद्य, भागलपुर" प्रविष्टि रखी जायेगी।

[सं 434/बिहार8/6(1)]

आदेश से,

आर पी भल्ला, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 20th October, 1986

NOTIFICATION

O. N. 64(E).—In pursuance of the Provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 434|BR|84(1), dated the 15th October, 1984, namely :—

in column 2 of the table appended to the said Notification against item '29-Banka' for the existing entry 'District Magistrate, Bhagalpur', the entry "Shri Tarkeshwar Prasad, No. 2, Deputy Director, Food, Bhagalpur" shall be substituted.

[No. 434|BR|86(1)]

By Order,

R. P. BHALLA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986